प्रेस नोट

जनपद बस्ती।

दिनांक-21-11-2026

साइबर अपराध के विरुद्ध बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फर्जीवाड़े एवं धोखाधड़ी के मामले में 05 अभियुक्त गिरफ्तार, POS मशीन से ₹ 44.17 लाख के लेन-देन व NCRP Complaint में विभिन्न बैंक खातों का खुलासा

साइबर अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री श्यामकांत एवं क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध श्री कुलदीप यादव के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना बस्ती पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पीड़ित संदीप यादव पुत्र जनार्दन यादव, निवासी पगार खास, थाना लालगंज, जनपद बस्ती ने लिखित तहरीर दी कि PF का फंड आने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा उनके स्वयं के बैंक खाते, उनके भाई के बैंक खाते तथा उनके मित्र के बैंक खाते का उपयोग किया गया और उन खातों में लाखों रुपये मंगाकर निकाल लिए गए। पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मु0अ0सं0- 0029/2026, धारा 318(4), 319(2), 336, 338, 340(2), 61(2), 317(2) BNS तथा 66C व 66D IT Act के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस टीम ने मामले में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज, पहचान पत्र व नकदी बरामद की गई है। बरामद **भारतपे POS मशीन** के लेन-देन की जांच में **44 लाख 17 हजार 996 रुपये** का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हुआ है, वहीं अभियुक्तों से जुड़े अब तक की जांच में विभिन्न बैंक खातों की जानकारी सामने आई है, जिनकी गहनता से जांच प्रचलित है। **NCRP पोर्टल** पर अब तक कुल **07 शिकायतों (कंप्लेंट)** का दर्ज होना पाया गया है, जिनके संबंध में भी विस्तृत छानबीन की जा रही है।

कार्यप्रणाली (मोडस ऑपरेंडी)

अभियुक्त सुनियोजित तरीके से **पीड़ितों** के मोबाइल में संदिग्ध **APK फाइल** भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। पीड़ित द्वारा यह फाइल इंस्टॉल करते ही आरोपी चालाकी से मोबाइल की **एक्सेसबिलिटी (Accessibility)** अनुमति चालू कर लेते थे, जिससे उन्हें डिवाइस की स्क्रीन और गतिविधियों पर पूरी पहुंच मिल जाती थी। इसके बाद आरोपी **RAT (Remote Access Trojan)** के माध्यम से पीड़ित के मोबाइल को अपने दूरस्थ नियंत्रण में ले लेते थे।

डिवाइस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद अभियुक्त पीड़ित के खाते से **UPI** के जरिए अन्य खातों में धनराशि अंतरित करते थे और ठगी की गई रकम को **ATM**, **POS मशीन** तथा **चेक** के माध्यम से निकाल लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **अतुल मिश्रा** पुत्र दिनेश चंद्र मिश्रा, निवासी उजैनिया, पोस्ट छीताहि, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।
2. **रोहित गौतम** पुत्र घूरु, निवासी ग्राम कथवाड़ा, थाना बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ।
3. **सुजीत गौतम** पुत्र सुखदेव गौतम, निवासी ग्राम कथवाड़ा, थाना बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ।
4. **राजा वर्मा** पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी अहिबरनपुर, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ।
5. **सौरभ चौधरी** उर्फ सौरभ वर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद वर्मा निवासी सोनहटी बुजुर्ग थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण

- **05 अदद** मोबाइल फोन
- **01 अदद** POS मशीन (भारतपे) - — **ट्रांजैक्शन की जांच में 44,17,996/- रुपये (44 लाख 17 हजार 996 रुपये) का लेन-देन प्रमाणित**
- **15 अदद** एटीएम (ATM) कार्ड
- **01 क्रेडिट कार्ड**
- **04 अदद** चेक
- **03 अदद** आधार कार्ड
- **03 अदद** पैन (PAN) कार्ड
- **03 अदद** पासबुक
- **6770/- रुपये** नगद

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा थाना साइबर क्राइम बस्ती।
2. नि0 भगवान सिंह थाना साइबर क्राइम बस्ती।
3. हे0 का0 अंगद मौर्य थाना साइबर क्राइम बस्ती।
4. का0 जितेंद्र यादव थाना साइबर क्राइम बस्ती।
5. का0 इशांत कुमार थाना साइबर क्राइम बस्ती।
6. कां0 अजय वर्मा थाना साइबर क्राइम बस्ती।
7. कां0 पियूष मिश्रा थाना साइबर क्राइम बस्ती।
8. का0 सुधांशु मिश्रा थाना साइबर क्राइम बस्ती।



